E3982 6818501N

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

रांची/दिनांक 02/05/19

संख्या 13/मु01-147/2018 663/ चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को एल.पी.ए. संख्या 168/2017 झारखण्ड सरकार एवं अन्य-बनाम-विनोद कुमार यादव, 171/2017, झारखण्ड सरकार एवं अन्य-बनाम-प्रेम कुमार ठाकुर, 205/2017, झारखण्ड सरकार एवं अन्य-बनाम-शंकर दयाल पाण्डेय में पारित न्याय निदेश के आलोक में यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिसके कारण प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014) में आगे दी गई रीति से संशोधन के लिए कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है, अतः भारत का संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 में निम्नांकित संशोधन करते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

(क) यह नियमावली **झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (तृतीय संशोधन) नियमावली,** 2019 कही जायेगी ।

676
11/05/19

(ख) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(ग) यह अधिसूचना झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (अधिसूचना संख्या-1632, दिनांक 05.09.2012) के निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त मानी जायेगी।

2. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम-14 तथा झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 2(i) को विलोपित करते हुए उसे निम्नवत् नियम-14 के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है:-

14. (क) प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक एवं अनुदेशक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित् रिक्तियों में से 50 प्रतिशत पद **झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत ऐसे अहर्ताधारी पारा शिक्षक,** जिनकी सेवा उस पंचाग वर्ष, जिसमें नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी, की पहली अगस्त को न्यूनतम दो वर्ष या उससे अधिक की हो, के चयन हेतु योग्य रहेंगे।

14. (ख) **शेष 50 प्रतिशत पद गैर-पारा अहर्ताधारी अभ्यर्थियों के साथ "वैसे अभ्यर्थी जो झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यरत अहर्ताधारी पारा शिक्षक के लिए अनुमान्य किसी भी तरह के छूट (यथा- उम्र सीमा/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक) का उपयोग नहीं करते हों" के चयन हेतु योग्य रहेंगे, लेकिन डी.पी.ई. की प्रशैक्षणिक योग्यता इस छूट के दायरे के अंतर्गत नहीं मानी जायेगी।**

3. झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 के नियम-15 तथा झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 के नियम 2(ii) को एतद् द्वारा इसे निम्नवत् नियम-15 के रूप में पुनर्प्रतिस्थापित किया जाता है:-

15.(क) झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का शिक्षक/अनुदेशक की नियुक्तियों में पालन किया जायेगा तथा आरक्षण का लाभ मात्र झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं आवासीय प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा।

15.(ख) उपर्युक्त के अनुसार की जाने वाली नियुक्तियों में उद्ग्र आरक्षण के तहत् ही क्षैतिज रूप में 50 प्रतिशत पद अहर्ताधारी महिलाओं तथा क्षैतिज रूप में ही 3 प्रतिशत पद अहर्ताधारी विकलांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे, परन्तु कि महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित पद के अंतर्गत 5 प्रतिशत अहर्ताधारी तलाकशुदा/परित्याक्ता/विधवा महिलाओं के लिए होगा और ऐसी महिलाओं के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को अन्य अहर्ताधारी महिलाओं से क्षैतिज आरक्षण के नियमों के अनुसार भरा जायेगा। झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त जाति एवं आवासीय प्रमाण-पत्र (जो भी लागू होता हो) के आधार पर ही क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

4. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तद्विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम संशोधित माने जायेंगे; परन्तु इस संशोधन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 13/मु.1-147/2018....663..../ **राँची,** **दिनांक**....02/05/19

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की 200 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।